कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला-कोरबा(छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दण्ड प्रकिया संहिता,1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/6471 /सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 13 / 05/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5216/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 19.03.2020,आदेश क./5236/सां.लि./2020 दिनांक21.03. 2020, आदेश क./5255/सां.लि./2020,दिनांक 22.03.2020, सहपठित संशोधित आदेश क्रमांक/5257/सां. लि./दिनांक 22.03.2020,आदेश क्रमांक/5313/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 24.03.2020,आदेश क्रमांक/5498/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/6006/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 14.04.2020 के द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक No. 40-3/2020-DM-I(A) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 01.05.2020 के माध्यम से 04.05.2020 से दो सप्ताह की अवधि अर्थात 17.05.2020 की मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने के आदेश जारी किया गया है।
4. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस कोविड–19 संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरबा में स्वास्थ्यगत आपात कालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि कोरबा जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5216/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 19.03.2020, आदेश क./5236/सां.लि./2020 दिनांक 21.03.2020, आदेश क./5255/सां.लि./2020 दिनांक 22.03.2020, सहपठित संशोधित आदेश क्रमांक/5257/सां.लि./दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/5313/सां.लि. /2020 कोरबा, दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/5498/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/6006/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 14.04.2020 द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत लागू की धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि की जावे।

यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि कोरबा जिलें में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोरबा जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करना उचित है।

5. **अतः मैं श्रीमती किरण कौशल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा , कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5216/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 19.03.2020, आदेश क./5236/सां.लि./2020 दिनांक 21.03.2020, आदेश क./5255/सां.लि./2020 दिनांक 22.03.2020, सहपठित संशोधित आदेश क्रमांक/5257/सां.लि./दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/5313/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/5498/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/6006/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 14.04.2020 द्वारा संपूर्ण कोरबा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत लागू की गई धारा–144 की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 की मध्य रात्रि तक लागू किये जाने का आदेश पारित करती हूँ। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।**
6. महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, कार्यालयीन आदेश के आदेश क्रमांक/5313/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 24.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/5343/सां.लि./2020 कोरबा दिनांक 25.03.2020, आदेश क्रमांक/5375/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 28.03.2020, आदेश क्रमांक/5498/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/5662/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 05.04.2020, आदेश

क्रमांक/5796/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 09.04.2020, आदेश क्रमांक/5954/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 13.04.2020, आदेश क्रमांक/6260/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020, आदेश क्रमांक/6262/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020, आदेश क्रमांक/6283/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020, आदेश क्रमांक/6287/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 27.04.2020, आदेश क्रमांक/208/कोविड–19/वाररूम 2020 कोरबा, दिनांक 27.04.2020 एवं आदेश क्रमांक/6301/सां. लि./2020 कोरबा, दिनांक 28.04.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट एवं प्रतिबंधात्मक आदेश इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

7. गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक No. 40-3/2020-DM-I(A) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 01.05.2020 के पैरा 04 एवं 5 तथा परिवहन आयुक्त, रायपुर का पत्र क्रमांक/83/तक/टीसी/2020 दिनांक 02.05.2020 में दिये गये निर्देश के परिपालन में कोरबा जिला सीमा अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है :–

i- शासन द्वारा अनुमति प्राप्त सार्वजनिक परिवहन के लिए अंतरराज्यीय बसों को छोड़कर शेष अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन के साधन प्रतिबंधित रहेंगी।

II- शासन द्वारा अनुमति प्राप्त चिकित्सीय कारणों के आधार पर या गतिविधियों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों के अंतर–राज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

III- सभी स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। केवल आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेंगी।

iv- स्वास्थ्य, पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्य कर्मचारियों, पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों, और क्वारंटाईन सुविधाओं के लिए उपयोग किये जाने हेतु आतिथ्य सेवाओं (हॉस्पिटलीटि सर्विस) को छोड़कर अन्य अतिथ्यि सेवाएं (हॉस्पिटलीटि सर्विस) प्रतिबंधित रहेंगी।

v- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य स्थल प्रतिबंधित रहेगा।

vi-सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक धार्मिक कार्य/अन्य समारोहों।

vi-.सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रहेगा। धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।

vii-सभी गैर आवश्यक क्रियाकलापों हेतु शाम 07:00 बजे से लेकर सुबह 07:00 बजे तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

Viii-जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हें सह–रूग्णता (With Co-morbidities) है, गर्भवती महिलाएं, और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही अनिवार्य रूप से रहेंगे। केवल अति आवश्यकताएं एवं स्वास्थगत उद्देश्य होने पर ही घर से बाहर जा सकेंगे।

ix-कंटेनमेंट जोन में, Out-Patient Department (OPDs) और मेडिकल क्लीनिक को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

X-सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/आटो/ई–रिक्शा के संचालक को आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में शासकीय अनुमति द्वारा इन वाहनों को अनुमति दी जा सकेगी।

XI- ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान, स्पा एवं सैलून की दुकाने प्रतिबंधित रहेंगी।

XII- पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट–बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग/सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

8. बिन्दु क्र. 6 में उल्लेखित आदेशों के कंडिका "ब" में वर्णित सूची में 01 से 67 तक कार्यालय/प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई हैं उक्त कंडिका "ब" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में कोविड–19 के शर्तों के पालन करने की स्थिति होने पर पूर्णतः तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है :–

68. शहरी सीमा क्षेत्र के बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों तथा शहरी क्षेत्र में स्टैण्ड अलोन (एकल) दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामाग्री के विक्रय हेतु अनुमति दी जाती है तथा उक्त दुकानों को निर्धारित समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। **कोविड–19 के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र की दुकानों में फिजिकल डिस्टेंशिंग के नियम का पालन हो। किसी दुकान या दुकान समूह द्वारा कोविड–19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है अथवा निजी कार्यालय अथवा दुकान/दुकान समूह क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना कठिन हो रहा हो तो उस निजी कार्यालय अथवा दुकान/दुकान समूह पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उस क्षेत्र में दुकान संचालन बंद कराने हेतु नगर निगम/नगर पलिका/नगर पंचायत के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) को अधिकृत किया जाता है ।**

69. केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ई–कामर्स गतिविधियों को अनुमति दी जाती है।

70. गिट्टी, सिमेंट, छड़ कन्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें, हार्डवेयर एवं आटोपार्टस की दुकाने एवं आटो वर्कशाप की दुकाने निर्धारित समय पर संचालित होंगी।
71. मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं एवं पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य निजी प्रतिष्ठान शहरी क्षेत्र में मंगलवार को बंद रहेंगे।
72. निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत की अधिकतम क्षमता के साथ काम कर सकते है, शेष व्यक्ति घर से कार्य कर सकते हैं।
73. सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन रायपुर के पत्र कमांक 221/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.05.2020 के अनुसार जिले में स्थित शासकीय कार्यालय संचालित होंगे। चूंकि यह जिला वर्तमान में आरेंज जोन में अतः कार्यालय में जनसामान्य के आने एवं उनके फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो इसलिए प्रत्येक कार्यालय द्वारा कार्यालय के ठीक बाहर एक हेल्पडेस्क/पब्लिक काउंटर की व्यवस्था की जावे। साथ ही कार्यालय को सेनेटाईज कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, छ.ग. शासन रायपुर के पत्र क्रमांक 225/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.05.2020 के अनुसार कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालय का संचालन आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगा।

9. लॉकडाउन के पालन हेतु निर्देश :–

सार्वजनिक स्थल –

A . दुकानों पर सुसंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लायसेंस आदि पत्रक का चस्पा करना अनिवार्य होगा तथा सभी दुकानदार अपनी दुकान परिसर और लगे हुए बाहर के स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु चिन्हांकित/बेरिकेटिंग करेंगें।

B . सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे का ढ़का जाना अनिवार्य होगा।

C . अंतिम संस्कार/ अंत्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। साथ ही अंतिम संस्कार/ अंत्येष्टि में शामिल होने के पूर्व संबंधित पुलिस थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा।

D . शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकान में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। यदि एक समय पर अधिक व्यक्ति उपस्थित हो तो कूपन की व्यवस्था एवं अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्रेता को यह सलाह दी जाये कि शराब का जितना निर्धारित मूल्य है, उतना ही रूपये लाये ताकि रूपये/चिल्हर का लेन–देन न हो।

कार्यस्थल –

E . सभी कार्यस्थलों पर चेहरे ढ़कने की अनिवार्यता होगी तथा मास्क व चेहरे ढके जाने के साधन का पर्याप्त भण्डारण किया जावेगा।

F . सभी निजी एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का उपयोग कराना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुख को अपने कर्मचारियों के बीच इस एप का शत–प्रतिशत उपयोग कराना आवश्यक होगा।

10. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रं./5774/सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 08.04.2020 द्वारा नगर पालिका परिषद कटघोरा को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया तथा सभी सीमाओं को सील किया गया है। जो कि आगामी आदेश तक यथावत रहेगी। कटघोरा नगर पालिका परिषद के बाहर से 03 किलोमीटर तक केवल आवश्यक वस्तुओं के विक्रय की अनुमति होगी।

11. **नगर पालिका परिषद दीपका, नगर पंचायत छूरीकला हेतु पूर्व में जारी छूट यथावत रहेगी तथा इस आदेश द्वारा दी जा रही अतिरिक्त छूट नगर पालिका परिषद दीपका व नगर पंचायत छूरीकला में लागू नहीं होगी।**

12. कन्टेंनमेंट जोन के निवासियों हेतु आरोग्य सेतु एप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाना होगा। कन्टेनमेंट जोन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही कन्टेनमेंट जोन को खोलने हेतु पृथक से आदेशित किया जावेगा।

यह आदेश कोरबा जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 की मध्य रात्रि तक या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 03.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ0क्र0/ 6472 /सां.लि./2020 कोरबा, दिनांक 03/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा/कटघोरा/पोड़ीउपरोडा, जिला–कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. उप संचालक, जनसंपर्क कोरबा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशनार्थ।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
12. सर्व ....जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)